3408/CDC (AUS)
07-12-017

संख्या–डी-964/38–2–2017–2(2)डी/2006

प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग
05 DEC 2017
3893/PA/430
05-12-17

ग्राम्य विकास अनुभाग–2

लखनऊ: दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

विषय:– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासनादेश दिनांक 18–07–2016 के अनुसार उपलब्ध कराये गये विकल्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1672/स्था0–5/अभि0/2017, दिनांक 25–08–2017 एवं पत्र संख्या–जी0ओ0–231/स्था0–5/अभि0/2017, दिनांक 06–11–2017, जिसके द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये विकल्प पर शासन स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–डी–383/38–2–2016–2(17)डी/2016, दिनांक 18–07–2016 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के संविलियन किया गया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को 'डाईंग कैडर' घोषित करते हुए, नयी पेंशन योजना वर्ष–2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं है, तो उसे पूर्व की भांति सोसाइटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी संख्या–लगभग–995 है, को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3– उल्लेखनीय है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06–11–2017 द्वारा शासनादेश दिनांक 18–07–2016 के अनुसार संविलियन का विकल्प स्वीकार करने वाले 954 कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिनका संवर्गवार विवरण निम्नवत है:–

G.O. omprakash

शासनादेश की शर्तों के अनुसार संविलियन स्वीकार करने वाले कार्मिकों का विवरण।

(1)	सहायक परियोजना अधिकारी/अपर परियोजना निदेशक	--00
(2)	परियोजना अर्थशास्त्री	--11
(3)	सहायक अभियन्ता	--70
(4)	अवर अभियन्ता	--36
(5)	अन्वेषक तकनीकी	--54
(6)	संख्या सहायक	--76
(7)	लेखाकार	--95
(8)	सहायक लेखाकार	--41
(9)	कनिष्ठ लेखा लिपिक	--104
(10)	प्रधान लिपिक/अधीक्षक	--41
(11)	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	--184
(12)	ड्राफ्टमैन	--04
(13)	वाहन चालक	--61
(14)	आशुलिपिक	--23
(15)	चतुर्थ श्रेणी	--154
	कुल योग	954

4-- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 06--11--2017 द्वारा संविलियन के शासनादेश के अनुसार संविलियन स्वीकार करने वाले उपरोक्त प्रस्तर--3 में उल्लिखित संवर्ग के 954 कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प को स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

6.12.2017

(सहदेव)

विशेष सचिव।

G.O. ramprakash